

पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड राँची

25

Special Auxiliary Police (SAP) के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या—02/2018

1. राज्य सरकार द्वारा विधि—व्यवस्था संधारण, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों जैसे राज्य की काराओं की सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना/ओ०पी० एवं टी०ओ०पी० में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर बहु—उद्देशीय Special Auxiliary Police (SAP) की दो बटालियन गठित किया गया है।

2. सैप—01 बटालियन टाटीसिलवे, राँची एवं सैप—02, हलुदबनी, जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार रिक्ति तथा मासिक वेतन की विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	पदनाम	कुल रिक्त	एक मुश्त वेतन प्रतिमाह
1	सुबेदार (सामान्य)	02	25,000 रु०
2	सुबैदार (वितंतु)	01	25,000 रु०
3	नायब सुबेदार (सामान्य)	04	25,000 रु०
4	नायब सुबेदार (तकनिकी)	01	25,000 रु०
5	हवलदार (सामान्य)	12	20,000 रु०
6	सिपाही (सामान्य)	44	20,000 रु०
7	सिपाही (चालक)	04	20,000 रु०
8	रसोईया	02	20,000 रु०
कुल योग—		70	

3. प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय थल/जल/वायु सेना से भूतपूर्व सूबेदार/नायब सूबेदार/हवलदार/सिपाही/चालक सिपाही एवं रसोईया को दो वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर कार्य पर रखा जायेगा और आवश्यकतानुसार इस अवधि का विस्तार आगे भी 05 वर्षों तक किया जायेगा। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी (Special Police Officer) के रूप में शक्ति प्रदत्त होगी।

4. झारखण्ड सरकार गृह विभाग अधिसूचना सं—108 दिनांक—07.06.2008 की कंडिका—4(V), गृह विभाग पत्र संख्या—3813 दिनांक 22.06.2015, गृह विभाग संसोधन संलेख संख्या—1391—राँची दिनांक 09.03.2016 एवं गृह विभाग संसोधन संलेख संख्या—6463—राँची दिनांक 02.12.2016 के अनुसार सेवा संबंधी अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

- सेवानिवृत्त जेऽसी०ओ०, हवलदार एवं सिपाहियों को अनुबंध पर नियुक्ति एक मुश्त मासिक वेतन के आधार पर किया जायेगा।
- निर्धारित मानदेय में प्रति वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सभी सैपकर्मियों को 08 (आठ) प्रतिशत मानदेय में बढ़ोत्तरी स्वतः दे दिया जायेगा।
- वर्तमान में दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 31.05.2022 तक विस्तारित हैं।
- झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जायेगी।

- V. अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व पदाधिकारियों/कर्मियों को एक वर्ष में केवल 30 दिनों का अवकाश देय होगा।
- VI. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी डियूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।
- VII. कर्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- VIII. भूतपूर्व सिपाही एवं हवलदार की उम्र क्रमशः 35-45 वर्ष के बीच होगी तथा जेओसीओओ (सूबेदार/नायब सूबेदार) की उम्र 45-55 वर्ष तक होगी। इसमें कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- IX. पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता तथा कदाचार एवं चारित्रिक दोष के कारण बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- XI. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी-ए/सेप-1 (AYE/SHAPE-1) होना चाहिए तथा चिकित्सीय जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।
- XII. सेवा में योगदान के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक/पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- XIII. सेवानिवृत्ति के समय आचरण डिस्चार्ज बुक में (EXEMPLARY OR VERY GOOD) एकजेम्पलरी या भेरी गुड दर्शित होना चाहिए।

5. पैरा 02 क्रं0स0 01 से 08 तक के उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार दिनांक 17/07/2018 को 10.00 बजे पूर्वाहन से प्रारम्भ की जायेगी।

स्थान – मुख्यालय, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-01, डोरण्डा, राँची। इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष उक्त तिथि एवं समयानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार एवं चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर योगदान के लिए बुलावा पत्र/नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। योगदान पर बुलावा पत्र के साथ अपना कपड़ा/कम्बेट ड्रेस, छोटा बिस्तर तथा कम से कम दो माह भोजन के लिए आवश्यक राशि लेते आयेंगे।

6. अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथि को परिशिष्ट 'क' पर दिये प्रपत्र (आवेदन) को भरकर, चार स्टाम्प साईज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) डिस्चार्ज बुक, पहचान-पत्र, पी0पी0ओ0, कोर्स सर्टिफिकेट तथा आधार कार्ड का मूल प्रमाण-पत्र एवं छायाप्रति लेकर आयेंगे। यह प्रपत्र झारखण्ड पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट www.jhpolice.gov.in पर भी उपलब्ध है।

7. आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष, सैप नियुक्ति बोर्ड, पुलिस उप-महानिरीक्षक, झा०स०प०, डोरण्डा, राँची को संबोधित होगा।


पुलिस महानिरीक्षक (अभियान),
झारखण्ड, राँची।

**झारखण्ड स्पेशल ऑक्युलरी पुलिस {Special Auxilary Police (SAP)} में
भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र**
विज्ञापन संख्या—02/2018

सेवा में

1. आवेदित पद का नाम :—
2. आवेदक का नाम (देवनागरी अक्षरों में साफ—साफ) :—
रोमन बड़े अक्षरों में नाम :— नम्बर रैंक
3. पिता का नाम (देवनागरी अक्षरों में साफ—साफ) :—
4. स्थायी पता :—
(क) ग्राम/मुहल्ला :— (ख) पत्रालय :—
(ग) थाना :— (घ) जिला :— (ड) पिन कोड :—
5. पत्राचार का पता :—
(क) ग्राम/मुहल्ला :— (ख) पत्रालय :—
(ग) थाना :— (घ) जिला :— (ड) पिन कोड :—
फोन/मोबाइल नॉ :—

--	--	--	--	--	--	--	--
6. जन्म तिथि :— दिन

--	--

 माह

--	--

 वर्ष

--	--	--	--

(01/07/2018 को दिन

--	--

 माह

--	--

 वर्ष

--	--

जॉसीओ० की आयु 55 वर्ष तथा ओआर०/अन्य पद 45 वर्ष से नीचे होनी चाहिए)
7. सेना में भर्ती होने कि तिथि किस पद पर कार्यरत रेजिमेन्ट / कोर
8. सेवानिवृत्ति की तिथि पद एवं अभिलेख कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए
9. सैन्य सेवा के दौरान विशेष प्रशिक्षण, उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों में सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य की विवरणी :—
(आवश्यकता हो तो यह विवरणी अलग पृष्ठ पर लिख कर संलग्न करें)
(क) विशेष प्रशिक्षण (आर्मी कोर्स और ग्रेडिंग)
(i) (iv)
(ii) (v)
(iii) (vi)
(ख) उग्रवाद ग्रसित इलाकों में सेवा विवरणी
(i) (iv)
(ii) (v)
(iii) (vi)
(ग) प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव
(i)
(ii)
(iii)

हाल का पासपोर्ट
साईज स्वाहस्ताक्षरित
फोटो गोंद से
चिपकायें (हस्ताक्षर
का कुछ भाग फोटो
पर एवं कुछ भाग
आवेदन पत्र पर हो)

10. सेवानिवृति के समय मेडिकल केटेगरी :—
 11. सेवानिवृति के समय चरित्र :—
 12. शारीरिक पहचान के दो चिन्ह :—
 (क)
 (ख)

13. संलग्न किये जाने वाले अभिप्रामाणित प्रमाण पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान-पत्र/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/चार स्टाम्प साईज फोटो एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो)

1.
 2.
 3.
 4.

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर रेखा के उपर

स्थान :—

दिनांक :—

घोषणा—पत्र

14. मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनायें तथा संलग्न प्रमाण-पत्र सही हैं। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमें में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित नहीं हुआ हूँ।

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

स्थान :—

दिनांक :—

इस रेखा के नीचे आवेदक कुछ न लिखें ——————

आवेदन पत्र की पावती

आवेदन प्राप्ति रसीद संख्या
 स्पेशल ऑफिजलरी पुलिस [Special Auxilary Police (SAP)] में अनुबंध पर कार्य करने हेतु भारतीय सेना के
 रेजिमेन्ट/यूनिट से सेवानिवृत्त पदनाम श्री थाना जिला
 ... ग्राम पो.
 राज्य से आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन की स्क्रीनिंग तथा अन्य जाँच के पश्चात सफल आवेदनकर्ताओं को चिकित्सा जाँच हेतु सूचित किया जायेगा। सेवाभिलेख की जाँच, चिकित्सा जाँच एवं अन्य मापदण्डों पर योग्य पाये गये आवेदनकर्ताओं को ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदनकर्ता की कोई भी अपील मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर
 वास्ते पुलिस उप-महानिरीक्षक, झा०स०प००,
 झारखण्ड, राँची।

तिथि / / 2018

नोट :—

- मेडिकल टेस्ट के लिए दिनांक को प्रातः बजे में रिपोर्ट करना है।
- सभी उम्मीदवार अपना डिस्चार्ज कार्ड एवं पहचान-पत्र लेकर आयेंगे।